International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 02(II), April - June, 2023, pp. 05-11

राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022: मुख्य प्रावधान एवं चुनौतियाँ

डॉ. दिनेश कुमार गहलोत*
भावना भाटी**

सार

वर्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व स्वास्थ्य सम्बन्धी चुनौतियों का सामना कर रहा है एवं स्थिति लगातार खराब होने की ओर अग्रसर है। प्रत्येक नागरिक की स्वास्थ्य की सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य है, जो भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों में उल्लेखित है। प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त है। स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन के अधिकार एवं संविधान के नीति निदेशक तत्वों के मूल में वर्णित है। जिसमें राज्य अपनी नीति के द्वारा भारत के नागरिकों के स्वास्थ्य को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

शब्दकोषः *स्वास्थ्य का अधिकार, स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा जागरूकता, लोकहितवाद।*

प्रस्तावना

स्वास्थ्य हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। स्वास्थ्य का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के अधिकार को संदर्भित करता है। इस अधिकार के द्वारा एक व्यक्ति स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा जागरूकता, बेहतर जीवन स्तर, स्वच्छ पानी और खाद्यान्न आदि तक पहुंच का हकदार है। व्यक्ति के सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों का विकास उत्तम स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। विकलांगता, बुढ़ापा, बेरोजगारी, विधवापन तथा अन्य परिस्थितियों में आजीविका में कमी के कारण व्यक्ति की स्वास्थ्य सुरक्षा का दायित्व सरकार का है। भारतीय संविधान में स्वास्थ्य के अधिकार को अलग से वर्णित नहीं किया गया है। लेकिन अनुच्छेद 21 के मूल में निहित है एवं साथ ही नीति निदेशक तत्व एवं अन्य प्रभावकारी कानूनों में वर्णित है। स्वास्थ्य का अधिकार केवल शरीर की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, इसके अन्तर्गत शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा भी निहित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 मानव कल्याण के लिए पूर्णरूप से समर्पित है जिसके अन्तर्गत व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व नैतिक स्वतंत्रता के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है।

भारत के संविधान में स्वास्थ्य का अधिकार

हमारा संविधान, स्वास्थ्य के अधिकार को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों के भीतर, राज्यों में समस्त संभव प्रयास करने की प्रत्याशा करता है। जनता स्वंय ही स्वास्थ्य के अधिकार की पूर्ति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हितधारी हैं इसलिए लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकार की प्राप्ति के लिए लोगों की भागीदारी निर्णायक और महत्वपूर्ण बनाने हेतु स्वास्थ्य के अधिकार का उपबंध करने के लिए और उससे प्रासंगिक, सहायक तथा आनुषांगिक उपबंध करने के लिए ऐसे कानून की आवश्यकता है।

---

* सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।
** शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।

भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों में स्वास्थ्य के अधिकार को देखा जा सकता है।

- **अनुच्छेद 15 :–** धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकना ।
- **अनुच्छेद 15 (3) :–** इस अनुच्छेद में कोई भी राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। [1]
- **अनुच्छेद 21 :–** कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। [2]

परमानन्द कटारा बनाम भारत संघ [3]

इस मामले ने भारत के आपातकालीन चिकित्सा देखभाल के दायरे और न्यायशास्त्र को बढ़ा दिया है। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया एक ऐतिहासिक फैसला है जिसने सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करना सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के डॉक्टर या अस्पताल के लिए अनिवार्य कर दिया। '' यह एक मेडिको लीगल मामला लगता है, मरीज को सरकारी अस्पताल ले जाओ''[4] इस निर्णय को जनहित याचिका के सर्वोत्तम परिणामों/उपलब्धियों में से एक के रूप में देखा जा रहा है।

मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1978 [5]

इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए ए. के. गोपालन मामले (इसमें मौलिक अधिकारों की विशिष्टता को निहित किया था, और संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के बीच एक संबंध स्थापित किया यह मानते हुए कि किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने वाला कानून उनमें से किसी का भी उल्लघंन नहीं करना चाहिए) के अपने फैसले को खारिज कर दिया। इसने फैसला सुनाया कि किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को कानून द्वारा वंचित किया जा सकता है। शर्त है कि उस कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण है। इसने स्पष्ट किया कि जीवन के अधिकार का अर्थ केवल पशु अस्तित्व नहीं है। इसमें कहा गया है कि इसमें जीवन के वे सभी पहलू शामिल होंगे जो मनुष्य के जीवन को सार्थक, पूर्ण और जीने लायक बनाते हैं।

- **अनुच्छेद – 41** कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं में, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अपंगता के मामले में काम करने, शिक्षा के अधिकार और सार्वजनिक सहायता के अधिकार और अन्य वंचित आवश्यकता के मामलों में प्रभावी प्रावधान किया। [6]
- **अनुच्छेद – 47** यह अनुच्छेद राज्य को अपने प्राथमिक कर्तव्यों के रूप में पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का निर्देश देता है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधीय उद्देश्यों को छोड़कर खपत पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगें। [7]

विन्सेंट पाणिकुरलंगरा बनाम भारत संघ मामले में [8] न्यायालय ने कहा कि ''सार्वजनिक स्वास्थ्य के रखरखाव और सुधार को उच्च स्थान देना होगा क्योंकि ये समुदान के भौतिक अस्तितव के लिए अपरिहार्य है और इनकी बेहतरी पर निर्भर करता है, जिस समाज के निर्माण की परिकलपना संविधान निर्माताओं ने की थी। हमारी राय में, सार्वजनिक स्वास्थ्य में भाग लेना, इसलिए उच्च प्राथमिकता है, शायद सबसे ऊपर एक ''। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 47 की व्याख्या करते हुए कहा है कि समाज की भलाई के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा की जानी चाहिए। यह भी कहा है कि इन कल्याणकारी युग में पोषण के स्तर को ऊपर उठाना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है।

रामलीला मैदान के संदर्भ में बनाम गृह सचिव, भारत संघ [9] ने तो स्वास्थ्य के अधिकार को व्यापक रूप प्रदान किया है। इस मामले में जिस तरह से दिल्ली के रामलीला मैदान में सो रही व्यक्तियों को तितर–बितर करने हेतु आंसू गैस छोड़ी गई तथा लाठीचार्ज किया गया, न्यायालय ने इसे संविधान प्रदत्त मौलिक

अधिकारों का उल्लघंन माना। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि आधी रात में गहरी नींद में सोये व्यक्तियों के साथ किया गया यह व्यवहार पूर्णतया गलत है। न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि नींद आवश्यकता है, विलासिता नहीं है। गलत समय पर नींद से वंचित करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान होता है। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि इस मामले को न्यायालय ने स्वप्रेरणा से ग्रहण किया था।

राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 : मुख्य प्रावधान

राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 22 सितम्बर 2022 को पेश किया गया। विधेयक को स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा मंत्री श्री परसादी लाल मीणा की अध्यक्षता वाली एक प्रवर समिति के पास भेजा गया। स्वास्थ्य एवं कल्याण में समान अधिकारों के संरक्षण और उन्हें प्राप्ति करने का प्रावधान किया गया है। राजस्थान राज्य का लक्ष्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के अधीन स्वास्थ्य और कल्याण के अधिकारों और उनमें साम्या के संरक्षण और उनकी पूर्ति करना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की विस्तारित परिभाषा के अनुरूप स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करने का उपबंध करना। राजस्थान राज्य के समस्त निवासियों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या की मांग करने, उस तक पहुंच या उसे प्राप्त करने में स्वंय की ओर से व्यय में उत्तरोत्तर कमी करने के साथ स्वास्थ्य परिचर्या तक निःशुल्क पहुँच और उसमें समानता का उपबंध करना भी है। स्वास्थ्य का अधिकार न केवल समय पर स्वास्थ्य परिचर्या तक ही विस्तारित है, अपितु इसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण संबंधी भूलभूत अधिकार भी सम्मिलित है। राजस्थान सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि लोगों को स्वास्थ्य के अधिकार प्राप्त हों। अधिनियम में कई अच्छे प्रावधान हैं, जैसे राजस्थान के सभी निवासियों को सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क शल्य चिकित्सा का अधिकार दिया गया, साथ ही ऐसे निजी अस्पताल जिन्होंने रियायती दरों पर जमीन का आवंटन करवाया है, वे भी इसके दायरे में आते है। इसमें कर्तव्यों का भी उल्लेख है जिसकें अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्मिकों के साथ सद्व्यवहार करने, उनसे किसी भी प्रकार की बदतमीजी नहीं करने तथा अप्राकृतिक दशा में मृत्यु हो जाने पर पोस्टमार्टम की स्वीकृति देने से कर्तव्य उल्लेखित है। स्वास्थ्य देखभाल करने वाले सभी कार्मिक निवासियों के साथ आदर सहित व्यवहार, मरीजों की गोपनीयता बरकरार रखने जैसे कर्तव्यों की पालना करने का उल्लेख किया गया है।

परिभाषाएँ

इस अधिनियम में विभिन्न तकनीकी शब्दों को परिभाषित भी किया गया है जो इस अधिनियम के दर्शन को समझने में सहायक है। जैसे – स्वास्थ्य का अधिकार[10]

स्वास्थ्य का अधिकार [8]

- रोग की प्रकृति कारण, प्रस्तावित जांच और उपचार के प्रत्याशित परिणामों, संभावित जटिलताओं और प्रत्याशित खर्चो के बारे में पर्याप्त सुसंगत जानकारी प्राप्त कर सकते है।
- समस्त लोक स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा उनके स्वास्थ्य परिचर्या स्तर के अनुसार जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित किए जाए। बाह्य रोगी सेवाओं, अतरंग रोगी सेवाओं, परामर्श, ओषधियों, निदान, आपात परिवहन, प्रक्रिया और सेवाओं, आपातकालीन परिचर्या का निःशुल्क उपभोग करने का प्रावधान है।
- अपेक्षित फीस या प्रभार के पूर्व भुगतान के बिना, किन्हीं आपात परिस्थितियों के अधीन, अपने स्वास्थ्य परिचर्या स्तर के अनुसार, ऐसी परिचर्या या उपचार प्रदान करने के लिए अर्हित किसी लोक स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्य परिचर्या स्थापना और अभिहित स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों द्वारा तत्परता से आवश्यक आपात चिकित्सकीय उपचार और गहन परिचर्या, आपात प्रसूति उपचार और दुर्घटना जनित आपात स्थिति, आपात उपचार करवाना तथा पुलिस रिपोर्ट प्राप्ति के आधारों पर उपचार में विलंब नहीं किया जाएगा।

- लोक स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्य परिचर्या स्थापन और अभिहीत स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों से निःशुल्क स्वास्थ्य परिचर्या सेवा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।
- रोगी के अभिलेखों, जाँच रिपोर्टों और उपचार के विस्तृत मदवार बिलों तक पहुंच की जा सकती है।
- समस्त स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनों पर उपचार के दौरान गोपनीयता, मानव गरिमा एवं एकांतता रखी जाएगी।
- किसी भी स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनों पर उपलब्ध वैकल्पिक उपचार का चयन किया जा सकता है।
- समस्त स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनों पर बीमारी या अवस्थाओं, जिनमें एच.आई.वी. प्रास्थिति या अन्य स्वास्थ्य दशा सम्मिलित है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, आयु, यौन अभिविन्यास या उनमें से किसी के जन्म स्थान के आधार पर किसी भेदभाव के बिना उपचार प्राप्त किया जाएगा।
- उपलब्ध करवायी जाने वाली प्रत्येक प्रकार की सेवा और उपलब्ध सुविधाओं के लिए दरों या प्रभारों के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते है।
- समस्त स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनों, चाहे लोक या प्राइवेट द्वारा विहित रीति से रेफरल परिवहन व्यवस्था कराना।
- आपातकाल – बिना फीस भुगतान के उपचार करना होगा। उपचार पश्चात् व्यक्ति भुगतान नहीं करता है तो उसका उचित भुगतान सरकार करेगी।

दुर्घटना जनित आपात स्थिति [11]

किसी घटना का अकल्पित, अप्रत्याशित या अनजाने में होना अभिप्रेत है जिसमें परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को मृत्यु या चोट लगने का जोखिम हो और इसमें सड़क, रेल, जलीय या वायु दुर्घटना सम्मिलित है।

प्राथमिक उपचार [12]

किसी दुर्घटना या आपराधिक घटना या किसी अन्य आपात स्थिति में घायल व्यक्ति को, किसी निर्णायक उपचार से पूर्व किसी चिकित्सा व्यवसायी सहित किसी व्यक्ति द्वारा उसकी स्थिति को स्थिर बनाये रखने के लिए दी गयी बुनियादी परिचर्या अभिप्रेत है।

इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा अन्य प्रावधान किये गये है, जो निम्न है –

स्वास्थ्य प्राधिकरण

- **जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण [13]**

सरकार, राज्य, स्वास्थ्य प्राधिकरणों के गठन की तारीख से एक मास के भीतर – भीतर जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में एक स्वतंत्र निकाय का गठन करेगी। पदेन रूप से नियुक्त व्यक्तियों के सिवाय, जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण के प्रत्येक सदस्य की नियुक्ति तीन वर्ष के लिए होगी। जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण मास में कम से कम एक बार बैठक करेगा।

जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण के निम्न कृत्य निर्धारित किये गये है –

- राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की नीतियों, सिफारिशों और निर्देशों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगें।
- स्वास्थ्य विशेषतया खाद्य, जल, स्वच्छता और पर्यावरण के निर्धारकों के लिए रणनीति और कार्य की योजनाएँ बनाना और उसका क्रियान्वयन किया जाएगा।
- ''लोक स्वास्थ्य आपातकाल'' साथ ही राज्य योजना पर आधारित जिले में प्रकोप या संभावित प्रकोप की स्थितियों के निवारण, पता लगाने, शमन और नियंत्रण के लिए व्यापक लिखित योजना बनायेगें।
- स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के सुधार की दृष्टि से, अस्पताल आने वाले हिताधिकारियों की, तीन मास में एक बार सुनवाई आयोजित की जाएगी।
- पर्याप्त और सुरक्षित खाद्य, जल और स्वच्छता की जिलें में सर्वत्र उपलब्धता और पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए सुसंगत सरकारी विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय बनाया जाएगा।

शिकायत निवारण तंत्र [14]

सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से छह मास के भीतर – भीतर स्वास्थ्य परिचर्या स्थापन, स्वास्थ्य परिचर्चा प्रदाता और निवासी के लिए शिकायत निवारण तंत्र विहित करेगी। एक विनिर्दिष्ट वेब–पोर्टल और सहायता केन्द्र जहां इस अधिनियम के अधीन उपबंधित अधिकारों के अतिलंघन और सेवाओं की अस्वीकृति पर परिवाद किया जा सकेगा। वेब पोर्टल/सहायता केन्द्र, उसके द्वारा प्राप्त शिकायतों को 24 घण्टे के भीतर संबधिंत अधिकारी को उसके ठीक वरिष्ठ पर्यवेक्षकों को अग्रेषित किया जायेगा। संबंधित अधिकारी अगले 24 घण्टे के भीतर – भीतर परिवादी को जवाब देना होगा। यदि परिवाद का 24 घण्टे के भीतर – भीतर संबंधित अधिकारी द्वारा समाधान नहीं किया जाता है तो वह परिवाद जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण को तुरन्त अग्रेषित किया जायेगा।

- **सजा का प्रावधान –** स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम का उल्लघंन करने, इलाज से मना करने पर 10 से 25 हजार तक का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। पहली बार उल्लघंन पर जुर्माना 10 हजार और इसके बाद 25 हजार तक का जुर्माना लगेगा।
- **डॉक्टर की हड़ताल एवं माँग –** राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार बिल पास करने के पश्चात् डॉक्टरों के द्वारा विरोध शुरू कर दिया गया, राज्य में डॉक्टर हड़ताल पर आ गए थे, डॉक्टरों ने इस बिल को असंवैधानिक बताया और इसकी वापसी की मांग की गयी। बिल में कहा गया था कि कोई भी निजी अस्पताल इमरजेंसी की स्थिति में किसी भी मरीज के इलाज से मना नहीं करंगे। डॉक्टरों का कहना है कि यदि उन्होंने किसी लावारिस मरीज का इलाज किया तो उसका बिल कौन भरेगा। डॉक्टर ने आंशका जताई कि विधेयक पारित होने से उनके कामकाज में नौकरशाही दखल बढ़ जाएगी। इमरजेंसी में गंभीर हालात में आए मरीज के इलाज से यदि कोई अस्पताल मना करता है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इस स्थिति में निजी अस्पतालों ने खिलाफ कार्रवाई की तलवार हमेशा लटकी रहेगी। यदि किसी हादसे में घायल लावारिस मरीज आया तो इसका इलाज कैसे संभव है ! महिलाओं की डिलीवरी के अस्पताल में यदि सर्प दंश या हार्ट अटैक का मरीज पहुंचा तो बिना डॉक्टरों के उसका इलाज कैसे होगा ! क्योंकि अस्पताल में तो स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होगा। डॉक्टरों की मांग है कि सरकार इमरजेंसी शब्द वाली लाइन को सही तरीके से परिभाषित करें।
- **सरकार – डॉक्टर के बीच समझौता –** स्वास्थ्य का अधिकार बिल के विरोध में 16 दिन बाद डॉक्टर की हड़ताल खत्म हुई। सरकार तथा डॉक्टर के बीच 8 मांगों पर सहमति बनी।

50 बेड से कम वाले निजी मल्टी स्पेशियलिटी अस्पतालों को आरटीएच से बाहर कर दिया गया है।

वे सभी प्राइवेट अस्पताल जिनकी स्थापना बिना सरकारी सहायता जैसे सब्सिडी पर जमीन या इमारत लेकर नहीं हुई है, उन सभी को आरटीएच से बाहर रखा गया है।

अस्पतालों की निम्नलिखित श्रेणियों को आरटीएच अधिनियम के अंतर्गत रखा गया है।

- निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल
- पीपीपी मोड पर बने अस्पताल
- सरकार से मुफ्त या रियायती दरों पर जमीन लेने के बाद स्थापित अस्पताल वो अस्पताल जो ट्रस्टों द्वारा चलाए जाते हैं (जिन्हें सरकार से जमीन या इमारत के रूप में फंड मिला है)
- राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर बने अस्पतालों को 'कोटा मॉडल' के तहत रेगुलराइज किया जायेगा।
- आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए पुलिस मामले और अन्य मामले वापस लिए जाएंगे।
- अस्पतालों के लिए लाइसेंस और अन्य स्वीकृतियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा।
- फायर एनओसी का नवीनीकारण हर 5 साल में माना जाएगा।

- नियमों में यदि कोई और परिवर्तन होता है तो वो आईएमए के दो प्रतिनिधियों से परामर्श के बाद ही किया जाएगा।

कमियाँ

- अधिनियम की रूपरेखा अभी पूरी तरह से साफ नहीं है, मरीज को इलाज देने के बाद सरकार किस तरीके से उसका भुगतान करेगी।
- अधिनियम में 50 बेड से ज्यादा बेड वाले अस्पतालों को दायरें में लिया है जिस कारण 98ः अस्पताल अधिनियम से बाहर हो गये। प्रदेश में अधिकांश अस्पताल 50 से कम बेड वाले है। जिसमें अधिकांश जनता वंचित रह जाऐगी। 15
- स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करने वाली बातें यथा – प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण, मिलावट, बीमारियों की अग्रिम रोकथाम, नकली दवाएं, दवाओं की कालाबाजारी जैसी बातों को छोड़ दिया गया।
- निजी अस्पताल को मुफ्त इलाज का खर्चा सरकार भुगतान करेगी लेकिन भुगतान कब, कैसे, किस दर में करेगी इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया।
- ऑनलाइन शिकायत का प्रावधान हटाकर अस्पताल मैंनेजमेंट के पास लिखित शिकायत देने के संशोधन से मरीजों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, शिकायत निवारण में मैंनेजमेंट की देरी, प्रशासन का समय से निदान नहीं करना यह सभी समस्याएँ मरीज को झेलनी पड़ सकती हे।
- जिन सभी अस्पतालों ने रियायती दर पर जमीनें या अनुदान लिया है, उन पर या तो बिल लागू होगा या आंवटन की शर्ते लेकिन कुछ अस्पताल जिनको रियायत पर जमीन अलॉट हुई थी, वे या तो बंद हो गए है या फिर केवल कागजों में ही है।
- दुर्घटना की स्थिति में जीवन रक्षा के लिए प्रथम एक घंटा को महत्व दिया लेकिन प्रथम एक घंटा को स्पष्ट नहीं किया तो क्या एक्सीडेंट के एक घण्टे के बाद वो इमरजेंसी नहीं मानी जायेगी।
- बिल में इलाज के पुनर्भुगतान की समय सीमा का वर्णन नहीं है और देरी से भुगतान पिछली चिंरजीवी स्वास्थ्य योजना में गंभीर परेशानी रही है।
- आवश्यक दस्तावेजों का उल्लेख नहीं है। चिरंजीवी योजना के अन्तर्ग+त भी कुछ मरीज कोई दस्तावेज की कमी के कारण योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते है।

स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम लागू करने में चुनौतियाँ

- वित्तकोष एक बड़ी चुनौती हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अन्तर्गत निजी अस्पताल मुफ्त इलाज कर रहे है जिनका बिल पास कराने में अस्पतालों को कई दिक्कतें आ रही है तथा स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान किस प्रकार होगा। वित्त कोष की समस्या भी एक चुनौती है।
- जिस प्रकार चिंरजीवी योजना का बजट पहले से तय रहता है लेकिन इस अधिनियम में काई खर्च निश्चित नहीं किया जा सका।
- अधिनियम में सुधार करने की मांग को लेकर डॉक्टर के विरोध करने के पश्चात् डॉक्टर और सरकार के बीच सहमति बनाना एक चुनौती बन गई थी।
- कानून के तहत सिर्फ राजस्थान के लोगों को ही फ्री इलाज सुविधा का लाभ मिलेगा इसलिए राजस्थान में रहने वाले प्रवासियों को जरूरी दस्तावेज के बगैर इलाज के दायरे से बाहर रखना मुश्किल होगा।
- अधिनियम को जमीनी हकीकत में सफल बनाने के लिए निजी डॉक्टरों के विरोध को निपटने के साथ सरकार को स्वास्थ्य सुविधाओं का दुरस्थ इलाकों में प्रभावी विस्तार भी करना होगा।
- अधिनियम के अनुसार निजी चिकित्सा में मुफ्त ईलाज होने से धीरे–धीरे निजी चिकित्सा समाप्त हो जाएगें, निजी चिकित्सक और अस्पताल संचालक पड़ौस के राज्यों में पलायन करने को मजबूर हो

जाएंगे। पड़ौस के राज्यों में निजी अस्पताल और चिकित्सा सेवायें इतनी उत्तम है, क्योंकि वहां पर सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को मुफ्त सेवाएं देने को मजबूर नहीं किया जाता।

- गुणवत्तापूर्ण इलाज हेतु उत्तम और आधुनिक तकनीक और दवाईयों का उपयोग होता है, जो निःशुल्क इलाज की बाध्यता के अधिनियम के कारण निजी अस्पताल मरीज को उपलब्ध नहीं करा पायेंगे।

सुझाव

चुनाव के निकट आने के कारण कम समय में जल्दबाजी में अधिनियम को लागू किया गया है। उसमें कई कमियाँ नज़र आ रही है जिसे जल्दी संशोधन करने की आवश्यकता है। अधिनियम का प्रसार करना आवश्यक है। बहुत से नागरिकों को अधिकारों की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती जिनसे वह लाभ प्राप्त करने में वंचित रह जाते है। अधिकार के अन्तर्गत मरीज को समय पर इलाज मिलना चाहिए तथा योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द मिले। 50 से अधिक बेड वाले अस्पताल इसके अन्तर्गत आने से ग्रामीण जनता को यह सुविधा नहीं मिलेगी। अतः शहरी ग्रामीण सभी जनता के अनुसार इसमें संशोधन आवश्यक है। 98 : अस्पताल 50 से कम बेड क्षमता वाले है। मरीजों के सम्पूर्ण जानकारी डिजिटल रूप में रखनी चाहिए जिससे कागजी कार्यवाही में समय अधिक लगने तथा भ्रष्टाचार से बचा सके तथा कम समय में सभी कार्यवाही डिजिटल रूप में हो जाए।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य की सुरक्षा का अधिकार भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है। प्रत्येक नागरिक को अच्छा भोजन, निवास एवं स्वास्थ्य सुरक्षा बिना किसी भेदभाव के पाने का अधिकार है। सभी नागरिकों को सुरक्षित कर राज्य देश की प्रगतिशीलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लोक स्वास्थ्य के युग का प्रारम्भ करेगा। प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य के सभी अधिकार उपलब्ध होंगे। जनता स्वयं ही स्वास्थ्य के अधिकार प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भागीदारी निभाती है। व्यक्ति को जीने के लिए स्वस्थ होना आवश्यक है तथा स्वास्थ्य के अधिकार प्राप्त हो सकें, सरकार इसके लिए तत्पर रहे तथा यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक नागरिक को उसके उचित अधिकार प्राप्त हों।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, 2020, प्रयागराज, पृष्ठ 17
2. वही, पृष्ठ 28
3. परमानन्द कटारा बनाम भारत संघ, 1989
4. वही
5. मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1978
6. भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, 2020, पृष्ठ 52 – 53
7. वही, पृष्ठ 54
8. एआईआर 1987 एससी 994
9. 2012 क्रि.लॉ.ज. 3516 (एस.सी.)
10. राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022, पृष्ठ 9 – 12
11. वही, पृष्ठ 2
12. वही, पृष्ठ 4
13. वही, पृष्ठ 12
14. वही, पृष्ठ 19–20
15. दैनिक भास्कर,, जोधपुर संस्करण 61, 5 अप्रेल, 2023, पृष्ठ 1

❖◆❖